

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत:-अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा




सरकार बनाम वीरेन्द्र कुमार

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र

मिसल नम्बर 13 / 2024

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

2024/45

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.5.2024 6/6 2024	<p>प्रार्थी सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(2) एफ.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 6.6.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> अति० जिला कलेक्टर कोटा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में अवमानक (sub standard) मिश्रित दूध (लूज)का विक्रय करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः 1.अप्रार्थी श्री श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री उदय लाल उम्र-26 वर्ष, जाति-गुर्जर, (खाद्यकारोबारकर्ता व मेनेजर), मैसर्स-देव सरस डेयरी, देव नारायण मंदिर के पास, डिकोली देवलीमाझी तह0 सांगोद जिला कोटा (राज.), पर 5000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) 2. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री उदय लाल गुर्जर, (प्रोपराईटर), मैसर्स-देव सरस डेयरी, देव नारायण मंदिर के पास, डिकोली देवलीमाझी तह0 सांगोद जिला कोटा (राज.), निवासी- देव नारायण मंदिर के पास, वार्ड नम्बर 24, देवली मांझी, कोटा पर 5000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) की शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जयें नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> अति० जिला कलेक्टर कोटा</p>	<p style="text-align: center;"></p>